सं. 1/113/CSD/DMN/NFSA/2014-15/
संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन;
समाहर्ता का कार्यालय,
नागरिक आपूर्ति विभाग,
समाहर्तालय, दमन|
दिनांक; ०२/०७/२०१४

प्रेसनोट

संघ प्रदेश दमन एवं दीव के सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि, संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ का दमन एवं दीव में क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, दमन एवं दीव द्वारा नये राशन कार्ड के आवेदन की प्रकिया जारी है|

नये राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र नागरिक आपूर्ति विभाग, दमन/दीव, तहसीलदार का कार्यालय, दमन/दीव के सभी पंचायत, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, दमन/दीव, पोस्ट ऑफिस, दमन/दीव और नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों से कार्यालय के समय के दौरान नि:शुल्क प्राप्त हो रहा है|

इस संबंध में, **सम्पूर्ण जानकारी एवं सम्बंधित समर्थन दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों पर या नागरिक आपूर्ति विभाग, दमन एवं दीव में स्वीकार किया जा रहा है|**

अत: सभी संघ प्रदेश दमन एवं दीव निवासियों से अनुरोध है कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड बनाने हेतु शीघ्रतिशीघ्र पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन करे|

(गौरवसिंह राजावत)
सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)